तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	29/6 /पक्षकारान क अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / भ्रमण / स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 6/7 को प्रस्तुत हो।	
	6/7/ पक्षकारान क अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / भ्रमण / स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/7/ को प्रस्तुत हो।	
	7.7.21 पत्रावली पेश। वकलाय उप.। मूल प्रतिवेदन U/S 128 LRAct पर वापस हुई। अतः पत्रावली अवलोकन हेतु दिनांक 15.7.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	
	15.7.21 पत्रावली पेश। वकलाय उप.। प्रार्थी का प्रतिपत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct को अवलोकन किया गया। से विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। निर्णय आज हस्ताक्षर कर घोषित किया गया। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास राजकेश मीना आर.ए.एस

व प्रार्थना पत्र संख्या :– 163/2020

गण–

. श्री किशनाराम पुत्र मानाराम
2. श्री कुम्भाराम पुत्र नरसिंहराम
3. श्री मेघाराम पुत्र नरसिंहराम
4. गुडी पुत्री नरसिंहराम नाबालिग माता लिछमा
5. लिछमा पत्नि नरसिंहराम जातियान कुम्हार निवासीगण गुढाभगवानदास तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

र्थीगण :–

श्री जंवरूराम पुत्र मानाराम
श्री तेजाराम पुत्र मानाराम
श्री मोहनराम पुत्र मानाराम
श्री बालूराम पुत्र मानाराम जातियान कुम्हार निवासी गुढाभगवानदास तहसील खींवसर जिला नागौर
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान
1. वकील प्रार्थी :– श्री अर्जुनसिह चौधरी
2. वकील अप्रार्थीगण :– श्री चन्दाराम जाखड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक 15.07.2021

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत ़्या जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 का खातेदारी एवं कब्जा काश्त का त खसरा नबंर रकबा 1456 रकबा 4.19 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 से 5 का खेत खसरा नबंर 3/1456 बीघा मौजा गुढाभगवानदास में स्थित है।

कि प्रार्थी संख्या के पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 जवरूराम का खेत ख.न. 286/1456 रकबा 5 ीघा, प्रार्थी संख्या 2 से 5 के खेत खसरा नबंर 286/1456 पश्चिम दिशा में यानि प्रार्थी संख्या 1 व 2 से 5 के बीच में अप्रार्थी संख्या 1 का खेत स्थित है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी संख्या 01 के खेतों की पूर्व सींव को तोड़कर खुर्द बुर्द कर रहा है प्रार्थी संख्या 2 से 5 के खेतो की पश्चिम सीव को तोड़कर खुर्द बुर्द कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

कि रूबरू पक्षकरान एवं मौतबरान के उक्त खसरान के नापचौप कर सीमाज्ञान कर चेन्ह बताये गये । उन पर सीमा कायम कर ली गई।

मगर अप्रार्थी संख्या 01 इन सीमा चिन्ह को मानने से इंकार कर दिया एवं विवाद करना शुरू दिया । तथा मौके पर पत्थरगढी करवाने हेतू तहसीलदार खींवसर को कमिश्नर नियुक्ति के कमिश्नर फीस अदा करने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा गुढाभगवानदास के ख.न. 1446 ा 4.19, प्रार्थी संख्या 2 से 5 का ख.न. 287/1456 रकबा 5.00 बीघा मौजा गुढाभगवानदास में त खेतों का नापचौप करते हुए चारों और पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश ावें।

प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाव बाबत् तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री चन्दाराम जाखड़ ालातनामा एवं जबाब प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम विश्नोई ने वकालातनामा मय जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया जिसे शामिल मिसल किया ा।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में र्थना पत्र के मुख्या बिन्दुओं को दोहारते हुए कथन किया की हमारे खेत खसरा खातेदारी एवं जा काश्त का खेतो का सीमाज्ञान करवाकर जरिये पुलिस इमदाद के पत्थरगढी करवाई जावें।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण विवादग्रस्त राजी के रिर्कोडेड खातेदार है मगर अभी तक प्रार्थीगणों ने इसका सीमाज्ञान नहीं करवाया है और मा को लेकर के विवाद है इसलिए जबतक सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक बगैर सीमाज्ञान के थरगढी किया जाना अनुचित है ऐसी सुरत में प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का क्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट को अस्वीकार किया जाता है ।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट को अस्वीकार किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

(उपखण्ड अधिकारी खींवसर, नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को सरे इजलासं सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

(उपखण्ड अधिकारी खींवसर, नागौर)